भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4280
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा सीएसआर परियोजनाएं

4280. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में पिछले दस वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की गई सीएसआर परियोजनाओं की राज्य-वार, जिले-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश और विशेष रूप से बापटला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सूची संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में और विशेषकर बापटला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों और विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की जिलेवार कुल संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में पिछले दस वर्षों के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रम कंपनियों द्वारा क्षेत्र-वार, जिला-वार और विशेषकर बापटला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित कुल निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पिछले दस वर्षों से कोई सीएसआर परियोजनाएं लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर बापटला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) इस्पात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) द्वारा सीएसआर परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार संचालित की जाती हैं। ये परियोजनाएँ मुख्यतः इस्पात संयंत्रों, खदानों और टाउनशिप के आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संधारणीयता जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। पिछले दस वर्षों में, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। हालाँकि, राज्य-वार, ज़िला-वार या निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट आँकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ख) सीएसआर पहलों का व्यापक लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों विशेषत: इस्पात सीपीएसई प्रचालनों के आस-पास के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। ज़िला-वार या बापटला के लिए लाभार्थियों की सटीक संख्या का रख-रखाव नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकांश परियोजनाएँ व्यक्ति-विशिष्ट न होकर समुदाय-उन्मुख होती हैं।

(ग) सीएसआर निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई द्वारा सीएसआर परियोजनाएँ मुख्यतः इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में संचालित की जाती हैं, जहाँ मुख्यतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की आबादी निवास करती है।

(घ) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार, पिछले दस वर्षों में कोई भी सीएसआर परियोजना लंबित नहीं हैं।

****